- परियोजना सम्बन्धित गतिविधियों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के विषय में और अधिक जागरूक करने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न विषयगत फोल्डर, पोस्टर आदि भी वितरित किये गये।

उपरोक्त सभी गतिविधियों के परिणामस्वरूप परियोजना क्षेत्र के कई गांवों के प्रधानों ने परियोजना के साथ सहयोग करने की मंशा जताई और इस दिशा में कार्य भी प्रारम्भ किया।

ग्राम भौरा, विकास खण्ड मेहदावल, जनपद सन्त कबीर नगर का में स्थापित ग्राम्य संसाधन केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले गांव बनकसिया, साड़े खुर्द, साड़े कलां व नौगो ग्राम सभा हैं। इन सभी गांवों में दो–दो स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। सभी स्वयं सहायता समूहों से एक–एक सक्रिय सदस्य व सभी गांवों के मास्टर ट्रेनर ग्राम्य संसाधन केन्द्र भौरा की समिति के सदस्य हैं। इनके अतिरिक्त भौरा की आशा एवं आंगनबाड़ी केन्द्र संचालिका भी इस समिति की सदस्य हैं। इस केन्द्र पर कृषिगत गतिविधियों के सरलता से सम्पन्न करने हेतु सिंचाई पाईप, स्प्रे मशीन, ओसाई पंखी आदि हैं तो छोटी जोत वाले महिला किसानों के अनाजों की सुरक्षा हेतु अनाज बैंक की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गयी है। सम–सामयिक जानकारियां लोगों तक आसानी से पहुंचती रहें, इसके लिए वहां पर विभिन्न विषयगत पत्र–पत्रिकाओं, फोल्डर आदि को भी समय–समय पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक माह होने वाली ग्राम्य संसाधन केन्द्र समिति की बैठक में प्रधान एवं पंचायत सदस्यों से सम्पर्क किया जाता रहा, लेकिन उनकी उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। बार–बार उनका एक ही जबाव था कि प्रधान के घर पर बैठक की जाये। तब पहली बैठक माह फरवरी में प्रधान के घर पर सम्पन्न की गयी, जहां पर ग्राम भौरा की मास्टर ट्रेनर, ग्राम्य संसाधन केन्द्र संचालिका एवं स्वयं सहायता समूह की 5 सदस्य उपस्थित हुईं। पुनः दो माह बाद अप्रैल में ग्राम्य संसाधन केन्द्र पर ही बैठक की गयी, जिसमें प्रधान उपस्थित हुए। लगातार दो बार बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद परियोजना पर अच्छी समझ हो जाने के बाद प्रधान ने जब यह समझ लिया कि वास्तव में यह हमारे लिए भी हितकर है, तो उन्होंने इस बजट सत्र में हमारे लक्षित समुदाय में से ऐसे लोगों की सूची मांगी है, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं बना है ताकि उनका जॉब कार्ड बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कार्य योजना तैयार करने में आपका लक्षित समुदाय हमारी मदद करे।

ग्राम्य संसाधन केन्द्र, घूरापाली के अन्तर्गत आने वाले गांव बढ़या ठाठर की दूरी ग्राम्य संसाधन केन्द्र से बहुत अधिक होने के कारण केन्द्र पर होने वाली बैठक में यहां के सदस्यों की उपस्थिति नहीं सुनिश्चित हो पाती है, लेकिन बढ़या ठाठर की मास्टर ट्रेनर श्रीमती यशोदा देवी ने अपने गांव के प्रधान से स्वयं सम्पर्क कर अपनी परियोजना के बारे में बताया और उनसे सहयोग की अपेक्षा जाहिर की। दो–तीन बार के सम्पर्क के बाद प्रधान ने उनके समूह से जुड़े 8–10 लोगों को निर्मल गांव के लिए उपलब्ध योजना से जुड़ाव कराकर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पात्र के तौर पर चिन्हित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने समूह की महिलाओं को मनरेगा में काम उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। इस गांव की एक खास बात यह है कि प्रधान से सम्पर्क एवं उपरोक्त योजनाओं से जुड़ाव यहां की मास्टर ट्रेनर की एक खास उपलब्धि के तौर पर गिनी जा सकती है, क्योंकि सम्पर्क से पहले प्रधान इन्हें विपक्षी दल का मानते हुए इनसे बात भी नहीं करता था। इनके साथ सम्पर्क स्थापित करने में परियोजना कार्यकर्त्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपरोक्त उदाहरण इस बात को पुष्ट करते हैं कि सही रणनीति एवं माध्यम अपनाकर हम पंचायत के साथ सकारात्मक जुड़ाव स्थापित कर सकते हैं और वास्तविक पात्रों की पहुँच योजनाओं तक बना सकते हैं। ये उदाहरण सिर्फ एक या दो ग्राम्य संसाधन केन्द्र के नहीं, वरन् ऐसे और भी उदाहरण हैं, जहां पर ग्राम्य संसाधन केन्द्र के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर समाज के शोषित वर्ग को लाभान्वित किया है। इससे प्रधान का लक्ष्य भी पूरा हो रहा है और हमारा लक्षित समुदाय की पहुंच व नियंत्रण भी बढ़ रही है।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर– 273001
वेबसाइट : www.geagindia.org

पैक्स
नई दिल्ली

पंचायत के साथ ग्राम संसाधन केन्द्र का जुड़ाव

ग्राम स्तर पर नई पहल

कृषिगत संसाधनों की समय से उपलब्धता न होना पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में निवास करने वाले लघु, सीमान्त, भूमिहीन व महिला किसानों की आजीविका स्थाईत्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में है और इसी कारण उनकी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। नतीजतन उनके उपर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और वे सामाजिक रूप से और भी वंचित व शोषित की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश एक तरफ जहां बाढ़ व जल–जमाव की समस्या से ग्रस्त है, वहीं वह सूखा की परिस्थितियों से भी दो–चार होता रहता है। ऐसे में इन किसानों खासकर महिला किसानों को खेती सम्बन्धित अनेकानेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न तो उन्हें कृषिगत तकनीकों व जानकारियों की उपलब्धता ही हो पा रही है और न ही उनकी पहुंच कृषिगत संसाधनों तक हो रही है।

ग्राम्य संसाधन केन्द्र के अवधारणा की उत्पत्ति उपरोक्त दिक्कतों के गर्भ से हुई। लोगों का मानना था कि गांव में ही एक ऐसा केन्द्र होना चाहिए, जहां से लोगों की कृषिगत आवश्यकताएं पूरी हो सकें तथा उसका नियमन व नियन्त्रण भी गांव के लोगों के ही हाथ में हो ताकि समस्याओं के समाधान की दिशा में सार्थक पहल की जा सके। गांव स्तर पर स्थापित ये ग्राम्य संसाधन केन्द्र कृषिगत संसाधनों के साथ ही तकनीकी जानकारियों व सूचनाओं तक महिला किसानों की पहुंच सरलता से बनाये रखते हैं, जिससे उनके समय व श्रम की बचत होती है और समय से खेती कार्य सम्पादित होने की वजह से उत्पादन भी बेहतर मिलता है।

ग्राम्य संसाधन केन्द्र का ढांचा

पैक्स परियोजना के अन्तर्गत पांच गांवों के क्लस्टर पर गठित ग्राम्य संसाधन केन्द्र के ढांचे को निम्नवत् समझा जा सकता है –

- एक ग्राम्य संसाधन केन्द्र में 12 से 14 सदस्य होते हैं, जिनमें प्रत्येक गांव के मास्टर ट्रेनर, स्वयं सहायता समूहों के सक्रिय सदस्य एवं पंचायत प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

- ग्राम्य संसाधन केन्द्र की एक चयनित समिति होती है, जिसमें सर्व सहमति से चुने गये अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होते हैं।

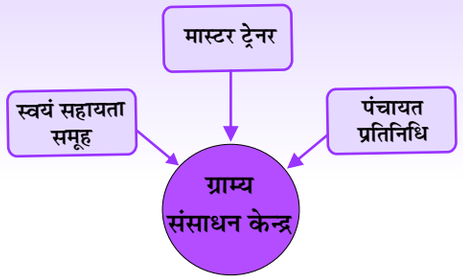

- समिति में पारदर्शिता, आपसी विश्वास बनाये रखने तथा उसे और उन्नत बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोल कर समिति से प्राप्त आय को उसमें समय–समय पर जमा किया जाता है।

ग्राम्य संसाधन केन्द्र के कार्य

पांच गांवों के क्लस्टर पर गठित ग्राम्य संसाधन समग्र तौर पर गांव में चलने वाली समस्त गतिविधियों के मानिटरिंग का कार्य करता है। इसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को निम्नवत् देखा जा सकता है –

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त ग्राम्य संसाधन केन्द्र का एक महत्वपूर्ण कार्य पंचायत के साथ जुड़ाव एवं पंचायत की गतिविधियों में भागीदारी निभाना है। ध्यातव्य है कि पंचायत द्वारा किये जाने वाले बहुत से कार्यों को ग्राम्य संसाधन केन्द्र के सहयोग से सरलता से किया जा सकता है, परन्तु यह एक कठिन कार्य है और इसे निरन्तर जुड़ाव, संवाद एवं बैठकों के माध्यम से ही किया जा सकता है। पंचायत के माध्यम से संचालित होने वाले विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं की पहुंच वास्तविक लाभार्थियों तक होने में ग्राम्य संसाधन केन्द्र सहयोगी की भूमिका निभाता है।

ग्राम्य संसाधन केन्द्र व पंचायत दोनों कई बिन्दुओं पर एक–दूसरे के साथ सहयोगी होते हैं। सहयोग के इन बिन्दुओं को निम्नवत् देखा जा सकता है –

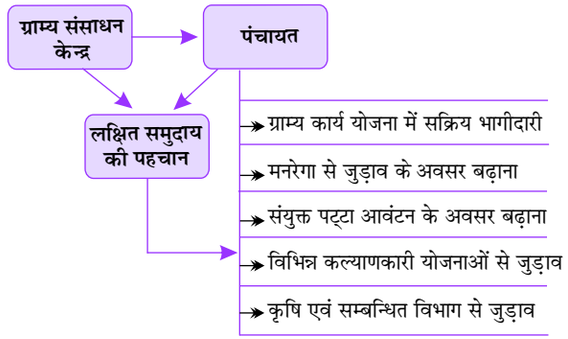

जुड़ाव के मुख्य बिन्दु

पैक्स परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः तीन मुद्दों– मनरेगा, भूमि अधिकार व दक्षता विकास पर सघन रूप से कार्य किया जा रहा है। पंचायत के अन्दर इन तीन बिन्दुओं पर बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं व कार्यक्रम संचालित होते हैं, जो बहुधा वास्तविक पात्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कई बार पंचायत के माध्यम से वास्तविक लक्ष्य की पहचान नहीं हो पाती, तो कई बार इन लक्षित समुदायों की पहुंच प्रधान के पास तक नहीं हो पाती है।

इन लक्षित समुदायों की पहचान ग्राम्य संसाधन केन्द्र के माध्यम से आसान होती है, तो समस्याओं का प्राथमिकीकरण व निराकरण की रणनीति भी इसी केन्द्र के माध्यम से आसानी से हो जाती है।

जुड़ाव की रणनीति

पैक्स परियोजना के तहत् पंचायतों की एक अहम् भूमिका है और पंचायत का सकारात्मक सहयोग पाने में ग्राम्य संसाधन केन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंचायत व ग्राम्य संसाधन के आपसी समन्वयन को एक बेहतर स्वरूप देने के लिए एक निश्चित रणनीति अपनायी गयी, जिसे निम्न बिन्दुओं के तहत् देखा जा सकता है–

- ग्राम्य संसाधन केन्द्र पर प्रत्येक माह समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक की जाती है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को खास तौर पर आमन्त्रित किया जाता है और इस बैठक का संचालन मास्टर ट्रेनर करता है। बैठक में मास्टर ट्रेनर परियोजना से सम्बन्धित सभी जानकारियों एवं गतिविधियों को बिन्दुवार प्रस्तुत करता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अपनी गतिविधियों एवं लक्ष्यों से पंचायत को जागरूक करना होता है ताकि वास्तविक लाभार्थियों की पहुंच पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं तक बनाई जा सके।
- शुरूआत में किसी भी ग्राम्य संसाधन केन्द्र के गांवों से जुड़े प्रधान बैठक हेतु समय नहीं दे रहे थे। अतः इस समस्या के समाधान हेतु बनाई गई रणनीति के तौर पर प्रत्येक गांव से मास्टर ट्रेनर द्वारा अपने गांव के प्रधान से व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क किया गया और उन्हें अपने परियोजना, लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं गतिविधियों के बारे में सविस्तार जानकारी दी गयी।
- समय–समय पर परियोजना से जुड़े कार्यकर्त्ताओं द्वारा भी प्रधान एवं पंचायत सदस्यों के साथ सम्पर्क कर उन्हें अपनी गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी दी गयी। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि परियोजना के अन्तर्गत बनाये गये ग्राम्य संसाधन केन्द्र पंचायत के कार्यों में सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं।